



2026: AHC- LKO:10501-DB

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 47 वर्ष 2026

शिवम चौरसिया द्वारा उनके भाई श्री मानस चौरसियायाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह कार्य विभाग, लखनऊ और अन्यप्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता : स्कंद बाजपेयी, अभ्युदय मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय अब्दुल मोइन, न्यायमूर्ति

माननीय श्रीमती बबीता रानी, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण श्री स्कन्द बाजपेयी एवं श्री अभ्युदय मिश्रा को और साथ ही विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण श्री शिव नाथ तिलहरी एवं श्री अनुराग वर्मा को सुना गया। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि वह प्रत्यर्थी संख्या 7 से 9 के लिए भी नोटिस स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान याचिका में संनिहित विधि के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए, विपक्षी संख्या 6 को नोटिस जारी किए जाने से छूट प्रदान की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रार्थना खंड-ए में "बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका" शब्द जोड़े जाने की प्रार्थना की है।

3. उपरोक्त प्रार्थना पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण को कोई आपत्ति नहीं है।

4. तदनुसार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण आज ही कार्यदिवस के दौरान प्रार्थना खंड-ए में "बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका" शब्द जोड़ लें।

5. वर्तमान याचिका में संनिहित कानूनी मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए तथा विपक्षियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष केस डायरी सहित संपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण, प्रति शपथपत्र दाखिल किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

6. इस संबंध में, **यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स बनाम शिव राज एण्ड अदर्स**, जो **2014 6 एससीसी 564 में प्रकाशित है**, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"ऐसे मामले में जहाँ पक्षों की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत की गई दलीलों के आधार पर न्यायालय सच्चाई का पता लगाने के लिए मूल अभिलेख तलब करता है, वहाँ अभिवचनों का महत्व समाप्त हो जाता है"।

7. वर्तमान रिट याचिका, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की है, निम्नलिखित मुख्य राहतों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

"(ए). इस याचिका को स्वीकार किया जाए, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और निरुद्धता को अवैध घोषित किया जाए, थाना- कन्धई, प्रतापगढ़, उ०प्र० में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 15/2026, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप है, के संबंध में माननीय न्यायालय विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, प्रतापगढ़, उ०प्र० द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 [अनुलग्नक-5, पृष्ठ संख्या 49 से 53 तक] को निरस्त करने संबंधी आदेश पारित किया जाए, तथा विपक्षी संख्या 1, 2, 3 और 4 को बंदी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्यक्षीकरण याचिका की प्रकृति में आदेश या निर्देश जारी कर याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाए।"

(बी) याचिका को स्वीकार किया जाए, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए, थाना- कन्धई, प्रतापगढ़, उ०प्र० में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 15/2026, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप है, के संबंध में तैयार किए गए गिरफ्तारी ज्ञापन दिनांक 28.01.2026 [अनुलग्नक-2, पृष्ठ संख्या 34 से 44 तक] को निरस्त करने संबंधी आदेश पारित किया जाए, तथा विपक्षी संख्या 1, 2, 3 और 4 को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करें।

(सी) परमादेश याचिका की प्रकृति में ऐसा आदेश या निर्देश पारित किया जाए जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 को यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से अवैध रूप से वंचित किए जाने के एवज में मुआवजे के रूप में ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) की धनराशि का भुगतान उस समयसीमा के भीतर करे जिसे यह न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे।

(डी) ऐसा आदेश या निर्देश पारित किया जाए जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 और/या 2 को यह निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से अवैध रूप से वंचित करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से उस समयसीमा के भीतर संचालित करें जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझा जाए।"

8. अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला यह है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 5/कथित पीड़िता, एक दूसरे के साथ प्रेम-बंध में थे, परंतु पीड़िता का परिवार उक्त संबंध के विरुद्ध था। दिनांक 21.01.2026 को, थाना- कन्धई, जिला- प्रतापगढ़ में याचिकाकर्ता के विरुद्ध, 2023 की धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 15 वर्ष 2026 के रूप में प्रथम सूचना

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट दिनांक 21.01.2026 दर्ज कराई गई थी, जिसकी एक प्रति इस रिट याचिका का अनुलग्नक-1 है।

9. यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की पुत्री को किराए पर कमरा लेकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी किया था और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाकर उसे छोड़ दिया था। इसके पश्चात, कथित तौर पर याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की पुत्री का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए हैं।

10. लगाए गए आरोपों और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के आधार पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 28.01.2026 को पुलिस थाना- नारंगपुर पहुँचने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता के पुलिस थाने पहुँचने पर उसे पुलिस चौकी में निरुद्ध कर लिया गया। शाम 07:30 बजे, एक उप-निरीक्षक दो कांस्टेबलों के साथ चौकी से बाहर आए और याचिकाकर्ता से गिरफ्तारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उन्होंने याचिकाकर्ता को एक निजी कार में बैठाया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता के भाई, जो दूसरी कार में थे, उन्हें कार से उतरने और घर जाने के लिए कहा गया। लगभग रात 09:30 बजे, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की सूचना उसकी माता को दूरभाष पर दी गई। दिनांक 28.01.2026 का गिरफ्तारी ज्ञापन, जिसकी एक प्रति इस रिट याचिका का अनुलग्नक-2 है, तैयार किया गया था, परंतु उक्त ज्ञापन में उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या दर्ज होने के उल्लेख के अतिरिक्त न तो गिरफ्तारी के कारण शामिल थे और न ही गिरफ्तारी के आधार। यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 29.01.2026 को, प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को विद्वान विशेष न्यायाधीश, पाँक्सो न्यायालय, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने आदेश दिनांक 29.01.2026 के माध्यम से, जिसकी एक प्रति रिट याचिका का अनुलग्नक-5 है, याचिकाकर्ता की चौदह दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की और उसे जिला कारागार भेज दिया। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री पर ध्यान तक नहीं दिया और रिमांड आदेश सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और निरुद्धता को अवैध घोषित किए जाने, विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 को निरस्त किए जाने तथा गिरफ्तारी ज़ापन दिनांक 28.01.2026 को अपास्त किए जाने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की प्रार्थना करते हुए, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को दिए गए गिरफ्तारी ज़ापन में गिरफ्तारी का कोई भी कारण या आधार शामिल नहीं है, और परिणामस्वरूप, यह **मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य- 2026 1 एससीसी 500** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है तथा उसके बिल्कुल विपरीत है, जो इस प्रकार याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अमान्य बनाता है।

13. जहाँ तक रिमांड प्रदान करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट की मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की भूमिका का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ के **मंजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में दिए गए निर्णय पर, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 2119** में प्रकाशित है, अवलंब लिया है।

14. दूसरी ओर, श्री शिव नाथ तिलहारी एवं श्री अनुराग वर्मा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण ने केस डायरी के आधार पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि पीड़िता का बयान बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है और चूँकि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, अतः एक बार जब याचिकाकर्ता द्वारा अपराध कारित किया जा चुका हो तो यह न्यायालय उक्त अधिकारिता का प्रयोग न करे। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण यह भी तर्क करते हैं कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण कराया गया है जिसके अनुसार पीड़िता की आयु सत्रह वर्ष निर्धारित की गई है, इसके अतिरिक्त शैक्षणिक अभिलेखों से भी यह प्रकट होता है कि पीड़िता अवयस्क है, तथा गिरफ्तारी के कारण एवं आधार याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी ज़ापन में दिए गए थे जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षरों सहित याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी विधिवत अंकित हैं।

15. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण ने **सीरियस फ़ॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी- एमएएनयू/एससी/0420/2019** के वाद में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भी अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवलंब लिया है, यह तर्क करने के लिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में न्यायालय को प्रत्यावेदन के समय निरोध की वैधता अथवा अवैधता पर विचार करना होता है, न कि कार्यवाही के संस्थापन के संदर्भ में, जिसका तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के पश्चात् विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड प्रदान किया जा चुका है, अतः गिरफ्तारी के समय हुई कोई भी अवैधता विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड प्रदान किए जाने के कारण विलुप्त हो जाएगी और चूँकि याचिकाकर्ता अब रिमांड आदेश के कारण अभिरक्षा में है, अतः बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की याचिका पोषणीय नहीं होगी।

16. इसके अतिरिक्त, **काशी रेड्डी उपेंद्र रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, एमएनयू/एससी/0773/2025** में प्रकाशित वाद में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भी अवलंब लिया गया है, यह तर्क करते हुए कि चूँकि गिरफ्तारी के कारण एवं आधार वास्तव में याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए गए थे, अतः किसी भी दृष्टिकोण से यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी अवैध एवं अनुचित है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी में कोई त्रुटि न होने के कारण, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

17. प्रतिस्पर्धी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

18. अभिलेखों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 21.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो वाद अपराध संख्या 15 सन् 2026 के रूप में पंजीकृत की गई है, दर्ज किए जाने के कारण याचिकाकर्ता को दिनांक 28.01.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी ज्ञापन विधिवत् उसे उपलब्ध कराया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 29.01.2026 के आदेश के द्वारा रिमांड भी प्रदान किया गया है और तदनुसार याचिकाकर्ता अभिरक्षा में है।

19. सर्वोच्च न्यायालय ने **मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त)** के मामले में, गिरफ्तारी के आधारों की आपूर्ति की आवश्यकता के संबंध में पूर्व के निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार करने के पश्चात्, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“28. यह कहा गया कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षोपायों का कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी एवं तत्पश्चात् दिए गए रिमांड की विधिसम्मतता को दूषित कर देगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त किए जाने का अधिकार प्रदान करेगा। प्रभीर पुरकायस्थ [प्रभीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली), (2024) 8 एससीसी 254 : (2024) 3 एससीसी (क्रि) 573] का सुसंगत अंश यहाँ पुनः उद्धृत किया जाता है: (एससीसी पृष्ठ 276 एवं 278, अनुच्छेद 19-21 एवं 28-29)

“19. परिणामस्वरूप, न्यायालय के मन में इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि यूएपीए के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधों के कारित किए जाने के अभिकथन में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अन्य अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए जाने का एक मौलिक एवं वैधानिक अधिकार है तथा ऐसे लिखित गिरफ्तारी के आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के और स्वाभाविक रूप से यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराने का उद्देश्य अत्यंत लाभकारी एवं पवित्र है, क्योंकि यह जानकारी ही गिरफ्तार व्यक्ति के लिए अपने अधिवक्ता से परामर्श करने, पुलिस अभिरक्षा रिमांड का विरोध करने तथा जमानत प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी साधन होगी। कोई भी अन्य व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार की पवित्रता को क्षीण करने के समतुल्य होगी।

20. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत प्रत्याभूत सर्वाधिक पवित्र मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार का अतिक्रमण करने के किसी भी प्रयास को इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में अस्वीकार किया है। इस संदर्भ में, हम रॉय वी.डी. बनाम केरल राज्य [रॉय वी.डी. बनाम केरल राज्य, (2000) 8 एससीसी 590 : 2001 एससीसी (क्रि) 42] में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं: (एससीसी पृष्ठ 593, अनुच्छेद 7)

“7. किसी व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता इतनी पवित्र है कि इसमें विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे समस्त सभ्य देशों में मान्यता प्रदान की गई है एवं लागू किया गया है। हमारे संविधान में, अनुच्छेद अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21 न केवल भारत के नागरिकों को, अपितु विदेशी नागरिकों को भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है।”

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 द्वारा प्रत्याभूत ऐसे मूल अधिकार का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास से कठोरतापूर्वक निपटा जाना होगा।

21. गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) से प्रवाहित होता है तथा इस मूल अधिकार का कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी एवं रिमांड की प्रक्रिया को दूषित कर देगा। मात्र यह तथ्य कि मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय तथा अभियुक्त को प्रारंभिक पुलिस अभिरक्षा रिमांड प्रदान करते समय की गई अवैधता एवं असंवैधानिकता को वैध नहीं करेगा।

28. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं अनुच्छेद 22(5) में आधारों की सूचना के संबंध में प्रयुक्त भाषा बिल्कुल एक समान है। इनमें से किसी भी संवैधानिक उपबंध में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि गिरफ्तारी अथवा निरोध के, जैसा भी मामला हो, “आधार” लिखित रूप में सूचित किए जाने चाहिए। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के कार्यक्षेत्र की परीक्षा करते समय संविधान पीठ द्वारा मौलिक अधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू की जो व्याख्या की गई है, वह गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने की अपेक्षा के संदर्भ में स्वतः ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर भी लागू होगी।

29. अतः हमें यह पुनः अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अथवा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं 22(5) के अंतर्गत यथाप्रावधानित गिरफ्तारी के आधार अथवा निरोध के आधार लिखित रूप में सूचित किए जाने की अपेक्षा पवित्र है तथा किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस संवैधानिक अपेक्षा एवं सांविधिक आदेश का अनुपालन न किए जाने से, यथास्थिति, अभिरक्षा अथवा निरोध को अवैध घोषित किया जाएगा।”

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31. विहान कुमार [विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (2025) 5 एससीसी 799 : (2025) 2 एससीसी (क्रि) 762] का सुसंगत अंश यहाँ पुनः उद्धृत किया जाता है: (एससीसी पृष्ठ 814-815, 817 एवं 822-23, अनुच्छेद 15, 21 एवं 40-42)

“15. पंकज बंसल [पंकज बंसल बनाम भारत संग, (2024) 7 एससीसी 576 : (2024) 3 एससीसी (क्रि) 450] में अपनाए गए दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा प्रभीर पुरकायस्थ [प्रभीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली), (2024) 8 एससीसी 254 : (2024) 3 एससीसी (क्रि) 573] में पुनः अभिनिर्धारित किया गया। अनुच्छेद 28 एवं 29 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: प्रभीर पुरकायस्थ [प्रभीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली), (2024) 8 एससीसी 254 : (2024) 3 एससीसी (क्रि) 573], एससीसी पृष्ठ 278)

“28. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं अनुच्छेद 22(5) में आधारों की सूचना के संबंध में प्रयुक्त भाषा बिल्कुल एक समान है। इसमें से किसी भी संवैधानिक उपबंध में यह उपेक्षा नहीं की गई है कि गिरफ्तारी अथवा निरोध के, जैसा भी मामला हो, “आधार लिखित रूप में सूचित किए जाने चाहिए। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के कार्यक्षेत्र की परीक्षा करते समय संविधान पीठ द्वारा मौलिक अधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू की जो व्याख्या की गई है, वह गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने की अपेक्षा के संदर्भ में स्वतः ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर भी लागू होगी।

29. अतः, हमें यह पुनः अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अथवा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं 22(5) के अंतर्गत यथा प्रावधानित गिरफ्तारी के आधार अथवा निरोध के आधार लिखित रूप में सूचित किए जाने की अपेक्षा पवित्र है तथा किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस संवैधानिक अपेक्षा एवं सांविधिक आदेश का अनुपालन न किए जाने से, यथास्थिति, अभिरक्षा अथवा निरोध को अवैध घोषित किया जाएगा।”

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क करने का प्रयास किया गया कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् उसे बारंबार अभिरक्षा में रिमांड दिया गया तथा अब आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। उनका कथन है कि अब अपीलार्थी की अभिरक्षा आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के अनुसरण में है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए, ऐसे तर्कों को स्वीकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22(1) को पूर्णतः निष्प्रभावी करने के समतुल्य होगा। एक बार जब यह अभिनिर्धारित कर दिया जाए कि अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण गिरफ्तारी असंवैधानिक है, तो गिरफ्तारी स्वयं दूषित हो जाती है। अतः रिमांड के आदेशों के आधार पर ऐसे व्यक्ति की निरंतर अभिरक्षा भी दूषित हो जाती है। आरोप-पत्र दाखिल करना और संज्ञान का आदेश उस गिरफ्तारी को वैध नहीं बना सकता जो अपने में असंवैधानिक है, क्योंकि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन करती है। हम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रदत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षोपायों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति एन. कोटीश्वर सिंह (अनुपूरक मत) - मुझे अपने सम्मानित बंधु माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका के मसौदा मत को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं उसमें की गई विश्लेषण एवं निष्कर्षों से सहमत हूँ। तथापि, मैं उपरोक्त मत के अनुपूर में कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहता हूँ।

41. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत अधिदेशित गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए जाने की अपेक्षा का प्रश्न, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 में भी समाविष्ट किया गया है, इस निर्णय में संक्षेप में पुनः अभिनिर्धारित किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में सूचित किए जाने के संवैधानिक अधिदेश को पंकज बंसल [पंकज बंसल बनाम भारत संघ, (2024) 7 एससीसी 576 : (2024) 3 एससीसी (क्रि) 450] में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि यह अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए सार्थक हो, जिसे प्रभीर पुरकायस्थ [प्रभीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली), (2024) 8 एससीसी 254 : (2024) 3 एससीसी (क्रि) 573] में पुनः अभिनिर्धारित किया गया है। उक्त संवैधानिक अधिदेश को धारा 50 दं.प्र.सं. (बी.एन.एस.एस. की धारा 47) के अंतर्गत विधि में समाविष्ट किया गया है। यह भी उल्लेखनीय

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए जाने की उपरोक्त अपेक्षा, सार्थक होने के लिए, धारा 50-क दं.प्र.सं. के अंतर्गत यथाप्रावधानित अभियुक्त के मित्रों, संबंधियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सूचित किए जाने की अपेक्षा करती है जिन्हें गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचना दिए जाने के प्रयोजन से प्रकट अथवा नामित किया गया हो। जैसा कि उल्लेखनीय है, यह धारा 50(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त अपेक्षा के अतिरिक्त है।

42. धारा 50-क दं.प्र.सं. को सम्मिलित करने का प्रयोजन, जो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति पर गिरफ्तार व्यक्ति के मित्रों, संबंधियों अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना अनिवार्य बनाता है, यह सुनिश्चित करना है कि वे गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय तत्काल एवं शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। गिरफ्तार व्यक्ति, अपनी अभिरक्षा के कारण, अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विधिक प्रक्रिया तक तत्काल एवं सुगम पहुँच नहीं रख सकता, जो अन्यथा मित्रों, संबंधियों एवं ऐसे नामित व्यक्तियों को अधिवक्ताओं को नियुक्त करने, उन्हें निर्देशित करने के माध्यम से निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र जमानत पर रिहा कराने हेतु उपलब्ध होती। अतः निरुद्ध व्यक्ति को एवं उपरोक्त उल्लिखित उसके संबंधियों को गिरफ्तारी के आधार सूचित करने का प्रयोजन मात्र एक औपचारिकता नहीं है, अपितु निरुद्ध व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना तथा साथ ही उसे उसके संबंधियों, मित्रों अथवा नामित व्यक्तियों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता एवं जीवन के मूल अधिकार को साकार करने हेतु यथाशीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का आवश्यक अवसर प्रदान करना है। अतः गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में सूचित करने की अपेक्षा न केवल गिरफ्तार व्यक्ति को, अपितु उसके मित्रों, संबंधियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी है जिन्हें गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रकट अथवा नामित किया गया हो, ताकि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अधिदेश को सार्थक एवं प्रभावी बनाया जा सके, अन्यथा ऐसी गिरफ्तारी अवैध घोषित की जा सकती है।

(मूल में जोर दिया गया)

35. जोगिन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जोगिन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 4 एससीसी 260 : 1994 एससीसी (क्रि) 1172] में इस न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अधिकारों के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए यह अभिलक्षित किया कि गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व और ऐसी शक्ति के प्रयोग का औचित्य दो भिन्न पहलू हैं। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को अपनी शक्ति के अतिरिक्त कारणों सहित गिरफ्तारी को न्यायसंगत ठहराने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी समाज में उसकी प्रतिष्ठा एवं उसके आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकती है, अतः गिरफ्तारी एक सामान्य रीति से नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय सावधान रहना चाहिए तथा व्यक्ति की संलिप्तता को न्यायसंगत ठहराने के लिए एवं गिरफ्तारी के प्रभाव एवं आवश्यकता के संबंध में भी उचित जाँच के पश्चात् स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। इस न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि जघन्य अपराधों को छोड़कर गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए।

37. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में निहित अधिदेश स्वभाव में स्पष्ट एवं असंदिग्ध है, यह उपबंधित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराया जाना चाहिए। यह आगे उपबंधित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी विधि व्यवसायीक से परामर्श करके अपना बचाव करने का अधिकार है। इस संवैधानिक अधिदेश को विधानमंडल द्वारा धारा 50 दं.प्र.सं. (अब बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 47) में प्रभावी किया गया है जो यह उपबंधित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल उसकी गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराया जाएगा।

41. रिमांड से पूर्व विधिक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयोजन मात्र प्रतीकात्मक नहीं है, अपितु यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा की प्रार्थना का विरोध करने तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने का प्रभावी अवसर प्रदान किया जाए जो ऐसी अभिरक्षा को अस्वीकार करने अथवा सीमित करने को उचित ठहरा सकती हों। यदि अभियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, तो उसे इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि वह विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। यथासंभव यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए, यदि वह ऐसी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अशोक बनाम उत्तर

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदेश राज्य [अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2025) 2 एससीसी 381 : (2025) 1 एससीसी (क्रि) 744] में अभिनिर्धारित किया कि जो अभियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, वह रिमांड से प्रारंभ होने वाले समस्त महत्वपूर्ण चरणों में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है।

43. धारा 167 दं.प्र.सं. (अब बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 187) रिमांड से संबंधित होते हुए पुलिस अधिकारी पर एक सकारात्मक अधिदेश आरोपित करती है कि जब जाँच चौबीस घंटों में पूर्ण नहीं किया जा सकता तो वह धारा 57 दं.प्र.सं. (अब बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 58) के अंतर्गत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। यह आगे अधिदेशित करती है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तब तक अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत न करे जब तक कि उसे उसके समक्ष शारीरिक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रिमांड करने की शक्ति के प्रयोग हेतु अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने को अधिदेशित करने वाले इस प्रावधान का प्रयोजन द्विविध है। प्रथम, अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा द्वितीय, उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करना। इस प्रावधान का आशय मात्र रिमांड के चरण पर सुने जाना नहीं है, अपितु अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है। तत्पश्चात् मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व डाला गया है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर अपना न्यायिक मानस लगाए, अभियुक्त अथवा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को सुने तथा धारा 167 दं.प्र.सं. (अब बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 187) में विहित मानदंडों के अंतर्गत यह निर्धारित करे कि अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रिमांड किया जाए अथवा उसे निरुद्ध रखा जाए। मजिस्ट्रेट एक डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर रहा है जो उसके समक्ष प्रस्तुत रिमांड पत्रों पर मात्र अनुमोदन की मुहर लगाता है। मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य [मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजराज राज्य, (2013) 1 एससीसी 314 : (2013) 1 एससीसी (क्रि) 475] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह स्वयं को इस बात से संतुष्ट करे कि उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री ऐसे रिमांड को न्यायसंगत ठहराती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



45. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के सामान्य पठन से यह प्रकट होता है कि संविधान निर्माताओं का प्रावधानों को समाविष्ट करते समय आशय कोई असाधारण परिस्थितियाँ सृजित करना नहीं था, अपितु यह इस प्रकार पठित होता है कि 'किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, यह राज्य पर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने का एक अनिवार्य एवं अपवादरहित दायित्व डाला गया है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी विधि व्यवसायीक से परामर्श करके अपना बचाव करने में सक्षम बनाना है। अनुच्छेद 22(1) का यह अधिदेश किसी भी अपवाद के बावजूद प्रभावी है। इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संवैधानिक दायित्व किसी विशेष विधि तक सीमित नहीं है तथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित है, अतः यह दण्ड संहिता, 1860 (अब बी.एन.एस. 2023) के अंतर्गत अपराधों सहित समस्त अपराधों पर लागू होता है।

46. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराने की आवश्यकता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रकाश में और उसके अंतर्गत, केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक अनिवार्य एवं बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा उपाय है, जिसे संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों से यथाशीघ्र अवगत नहीं कराया जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा और गिरफ्तारी अवैध घोषित होगी।

48. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने की रीति के संबंध में, ताकि संवैधानिक आदेश का अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण हो सके, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 22(1) और 22(5) में आधारों की सूचना के संबंध में प्रयुक्त भाषा एक समान है, और इसलिए अनुच्छेद 22(5) की व्याख्या स्वतः ही अनुच्छेद 22(1) पर भी लागू होगी। अनुच्छेद 22(1) के वास्तविक एवं अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रदान किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में इस न्यायालय के संविधान पीठ के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णय हरिकिशन [हरिकिशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1962 एससीसी ऑनलाइन एससी 117] का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत किसी निरुद्ध व्यक्ति के गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए जाने के अधिकार के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि वह व्यक्ति साक्षर है, तो उसे ऐसी भाषा में आधार उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिसे वह समझ सके और ऐसी लिपि में जिसे वह पढ़ सके।

50. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ [लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ, (1981) 2 एससीसी 427 : 1981 एससीसी (क्रि) 463 : (1982) 52 सीओएमपी सीएस 543] में पुनः दोहराया गया और उसका अनुसरण किया गया, जिसमें यह पुनः पुष्टि की गई कि निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को लिखित रूप में और ऐसी भाषा में सूचित किए जाने चाहिए जिसे वह समझता हो।

51. उपरोक्त दोनों निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी भाषा में गिरफ्तारी के आधारों की मात्र सूचना देना, जो उसे समझ में न आती हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संवैधानिक आदेश की पूर्ति नहीं करता। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में आधार उपलब्ध न कराना, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को भ्रामक एवं निरर्थक बना देता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रत्याभूत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। संवैधानिक आदेश का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार को समझने की स्थिति में रखा जाए, और यह उद्देश्य तभी साकार हो सकता है जब आधार उस व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके।

52. उपरोक्त विवेचित निर्णयों की श्रृंखला से जो विधिक स्थिति उभरकर सामने आती है, वह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में प्रदत्त संवैधानिक आदेश केवल एक प्रक्रियागत औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों के रूप में एक संवैधानिक सुरक्षा उपाय है। संवैधानिक आदेश का आशय एवं उद्देश्य यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए तैयार किया जा सके। यदि अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों को संकुचित रीति

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से पढ़ा जाए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का उसका अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वह संकुचित एवं निष्प्रभावी हो जाएगा।

55. इस न्यायालय का मत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के संवैधानिक आदेश के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, गिरफ्तारी के आधारों से गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के प्रत्येक मामले में अवगत कराया जाना चाहिए तथा ऐसे आधारों की सूचना देने का तरीका लिखित रूप में और उस भाषा में होना चाहिए जिसे वह समझता हो।

57. दूसरा प्रश्न जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि जब गिरफ्तारी के आधार न तो गिरफ्तारी से पूर्व और न ही गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् प्रदान किए जाते हैं, तो क्या यह धारा 50 दं.प्र.सं. (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 47) के प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण गिरफ्तारी को दूषित कर देगा, यह प्रश्न उन विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में भी विचारणीय है जहाँ ऐसे आधारों को तत्काल प्रदान करना संभव न हो।

58. अब यह सुस्थापित है कि यदि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में प्रदान नहीं किए जाते, तो यह अनुपालन न करना संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाएगी तथा व्यक्ति मुक्त किए जाने का अधिकारी होगा। विधि में गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए जाने के तरीके, प्रकृति अथवा समय एवं चरण के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 22 में “यथाशीघ्र” कहा गया है, जिसका अर्थ स्पष्टतः गिरफ्तारी से पूर्व नहीं है, बल्कि यह गिरफ्तारी के समय अथवा उसके पश्चात् हो सकता है। इसका आशय यह है कि जितनी शीघ्रता से सूचना दी जा सके, दी जानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें गिरफ्तारी के समय अथवा तत्काल पश्चात् गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से संभव न हो।

62. अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जिन मामलों में पुलिस पहले से ही ऐसी दस्तावेजी सामग्री के अधिकार में है जो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती है, वहाँ गिरफ्तारी के लिखित आधार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय ही प्रदान किए

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाने चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से किए गए शरीर या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में, जहाँ गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में आधार सूचित करना अव्यावहारिक हो जाता है, वहाँ गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के लिए यह पर्याप्त होगा कि वह गिरफ्तारी के समय उन आधारों को मौखिक रूप से व्यक्ति को सूचित कर दे। तत्पश्चात्, गिरफ्तारी के आधारों की लिखित प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उचित समय के भीतर और किसी भी दशा में रिमांड कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाने से दो घंटे पूर्व से विलंब न होने देते हुए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रिमांड पत्रों में गिरफ्तारी के आधार अंकित होने चाहिए और यदि उन्हें उपलब्ध कराने में विलंब हो, तो मजिस्ट्रेट की जानकारी हेतु उसका कारण दर्शाने वाली एक टिप्पणी सम्मिलित की जानी चाहिए।

64. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम द्वितीय प्रश्न के संबंध में यह अभिनिर्धारित करते हैं कि गिरफ्तारी से पूर्व अथवा गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार न दिए जाने से धारा 50 दं.प्र.सं. (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 47) के प्रावधानों के अनुपालन न होने के आधार पर ऐसी गिरफ्तारी दूषित नहीं होगी, बशर्ते कि उक्त आधार उचित समय के भीतर और किसी भी दशा में रिमांड कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति की प्रस्तुति से दो घंटे पूर्व लिखित रूप में उपलब्ध करा दिए जाएं।

68. हम इस तथ्य से भलीभाँति अवगत हैं कि समस्त अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना को अनिवार्य बनाने वाली कोई सुसंगत अथवा बाध्यकारी आवश्यकता विद्यमान नहीं थी। हमारे मतानुसार, उपरोक्त अभिनिर्धारण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी रीति से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। दायित्व के संबंध में इस प्रकार की स्पष्टता आपराधिक न्याय प्रशासन में अनिश्चितता को दूर करेगी। अतः निष्पक्षता एवं विधिक अनुशासन की आवश्यकता यह माँग करती है कि उपरोक्त रूप में पुष्टि की गई यह प्रक्रिया आगामी समय में की जाने वाली समस्त गिरफ्तारियों पर लागू होगी।”

20. मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन

से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22(1) पर विचार करने के पश्चात् स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को **ऐसी गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए बिना** अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, जिसका तात्पर्य यह है कि यह राज्य पर एक अनिवार्य एवं अपवादरहित कर्तव्य आरोपित करता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए। गिरफ्तारी के आधारों की आपूर्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में भी निहित माना गया है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराने की आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक **अनिवार्य बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा उपाय** है जिसे संविधान के भाग III में “मौलिक अधिकारों” के शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

21. सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के वास्तविक एवं अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रदान किए जाने चाहिए तथा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी के आधारों की आपूर्ति संवैधानिक आदेश है। तत्पश्चात्, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में प्रदान नहीं किए जाते, तो यह अनुपालन न करना संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाएगी तथा व्यक्ति मुक्त किए जाने का अधिकारी होगा। उपरोक्त प्रक्रिया को आगामी समय में की जाने वाली समस्त गिरफ्तारियों पर लागू करने का निर्देश दिया गया है, **अर्थात्** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दिनांक 06.11.2025 से प्रभावी रूप से।

22. अतः, उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए।

23. प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 28.01.2026 की गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार गिरफ्तारी के कारण एवं आधार प्रदान किए गए हैं, जो रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है। तथापि, गिरफ्तारी ज्ञापन के कॉलम 12 एवं 13, जो गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारों से संबंधित हैं, में केवल यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) तथा पॉक्सो अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 15 सन् 2026 पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी ज़ापन से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को क्यों गिरफ्तार किया गया। मामला वहीं समाप्त हो सकता था, परंतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण ने याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर सहित गिरफ्तारी के कारणों की प्रति भी प्रस्तुत की है। उक्त गिरफ्तारी के आधार दिनांक 28.01.2026 की केस डायरी संख्या सीडी 8 में विधिवत् दर्ज एवं अंकित पाए गए हैं। सुविधा की दृष्टि से, गिरफ्तारी ज़ापन तथा पृथक रूप से दिए गए गिरफ्तारी के आधार नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं:-

"प्रत्येक अभियुक्त के लिये अलग-अलग

गिरफ्तारी मेमो

(प्र०सू०रि० सं० 15/2026 दिनांक 21.01.26

धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट 2012

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार)

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

1	गिरफ्तारी व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	शिवम चौरसिया उर्फ वुन्नी उम्र करीब 20 वर्ष
2	गिरफ्तारी व्यक्ति के माता/पिता का नाम	अशोक कुमार चौरसिया
3	गिरफ्तारी व्यक्ति का मो०नं०/आधार सं०	मो० 7570836946, 7570883528, 9621015139
4	गिरफ्तारी व्यक्ति का वर्तमान पता	ग्राम रामपुर बेला पोस्ट बेला रामपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०
5	गिरफ्तारी व्यक्ति का स्थायी पता	ग्राम रामपुर बेला पोस्ट बेला रामपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6	प्र०स०रि० सं० 15/26 धारांतर्गत थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़	137(2), 87, 64(1), 351(3) बीएनएस व 3/4 पाँक्सो एक्ट 2012
7	गिरफ्तारी का स्थान	उडैयाडीह मोड़ पुलिया के पास पीएस कन्धई
8	गिरफ्तारी की तारीख और समय	28.01.2026 समय 22:15 बजे
9	गिरफ्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है. उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर/सूचना का माध्यम (धारा 48(1) बीएनएसएस)	अभियुक्त की माँ मीला देवी डब्ल्यू/आफ अशोक कुमार चौरसिया को जरिये दूरभाष मो०नं० 7570883528 पर दी गयी
10	नोडल पुलिस अधिकारी को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1) बीएनएसएस)	जरिये दूरभाष सूचित किया गया
11	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों का नाम पद और पीएनओ सं.	उ०नि० पवन कुमार यादव (231044721) का. प्रवीण यादव, का. राहुल कुमार
12.	गिरफ्तारी के कारण	मु०अ०सं० 15/26 धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) बीएनएस व 3/4 पाकसो एक्ट 2012 थाना कन्धई, प्रतापगढ़ में वांछित होने के कारण
(ए)	पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1)(ए) बीएनएसएस)	--
(बी)	ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	जी हाँ
(II)	अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	जी हाँ
(III)	ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	जी हाँ

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(IV)	ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न जा सके	जी हाँ
(V)	क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्थिति न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की सकती है।	जी हाँ
13	गिरफ्तारी के आधार	--
(I)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ साथ वादी मुकदमा दिये गये साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ्तारी आवश्यक है।	--
(II)	वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट है।	--
(III)	वह समस्त सामग्री/बरामदगी जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता है।	--
(IV)	विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की -आवश्यकता हुई।	--
(v)	अन्य ऐसी सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य आदि जो कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित है, का	---

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	विवरण	
(vi)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में बीएनएस की किन-किन धाराओं में सामग्री /साक्ष्य है, जो कि गिरफ्तारी के लिये आवश्यक है, का विवरण।	धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) BNS व 3/4 पांक्सो एक्ट 2012
14	संज्ञेय व जमानती मामलों में गिरफ्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं। (धारा 47 (2) बीएनएसएस)	जी हाँ
15	शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि के निशान।	कोई जाहिरा चोट नहीं है।
(ए)	गिरफ्तारी के दौरान	नहीं
(बी)	या अन्यथा।	नहीं
16	यदि गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों/उसका/उसकी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने के बारे में बताया गया? (धारा 38 बीएनएसएस)	जी हाँ

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधारों व विधिक अधिकारों के बारे में अभियुक्त को समझ आने वाली भाषा में भली भांति अवगत कराया गया तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं बीएनएसएस के प्रावधानों का गिरफ्तारी के दौरान पालन किया।

अपठनीय

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व रैंक उ० नि० पवन कुमार यादव

थाना कन्धई प्रतापगढ़

दिनांक 28.01.2026"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. इसके अतिरिक्त, पृथक रूप से दिए गए गिरफ्तारी के आधार नीचे उद्धृत किए जाते हैं:-

आज दिनांक 28.01.2026 को मुझ उपनिरीक्षक/विवेचक द्वारा थाना कन्धई पर पंजीकृत मु०अ०सं० 15/2026 धारा 137(2), 87, 69, 351(3) बीएनएस 2023 व 3/4 पाँक्सो एक्ट 2012 जो कि वादी विजय कुमार चौरसिया पुत्र लालजी चौरसिया निवासी ग्राम परसनी सरायभीम सेन थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 21.01.26 को पंजीकृत कराया गया है जिसमें आप नामजद अभियुक्त हैं, मुकदमा उपरोक्त में अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही साक्ष्य संकलन, बयान वादी, बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस 2023 व बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस 2023 समक्ष मा० न्यायालय व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त की धारा 137(2), 87, 64(1), 351(3) बीएनएस 2023 व 3/4 पाक्सो एक्ट 2012 के अपराध में आपकी संलिप्तता पाये जाने पर आप शिवम चौरसिया उर्फ चुन्नी पुत्र अशोक कुमार चौरसिया निवासी ग्राम रामपुर बेला पोस्ट बेलारामपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ हिरासत पुलिस में लिया जाता है। आपके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। आपके द्वारा कृत अपराध में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लिखित प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है।

28.01.26

(पवन कुमार यादव)

उ०नि०/विवेचक

थाना कन्धई

जनपद प्रतापगढ़

25. उक्त पृथक गिरफ्तारी के आधारों का न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है, परंतु उन गिरफ्तारी के आधारों पर, जो कथित रूप से याचिकाकर्ता को पृथक रूप से प्रदान किए गए बताए जाते हैं, कोई विश्वास अथवा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके कारण अधिक दूर नहीं हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त कि उक्त गिरफ्तारी के कारण अलग कागज पर पृथक रूप से प्रदान किए गए हैं और गिरफ्तारी ज्ञापन का भाग नहीं बनते, मामले का दूसरा पहलू यह है कि अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 28.01.2026 के गिरफ्तारी ज़ापन के न तो कॉलम 12 में, न कॉलम 13 में और न ही गिरफ्तारी ज़ापन में कहीं भी यह उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तारी के आधार पृथक रूप से दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने से संबंधित कॉलम संख्या 13 एवं उसके उप-कॉलम रिक्त छोड़ दिए गए हैं। अतः यह स्वीकार करने का कोई अवसर नहीं हो सकता कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को विधिवत् प्रदान किए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 36 के अनुसार, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी ज़ापन जारी किया जाना है, यह स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि गिरफ्तारी ज़ापन कम से कम एक ऐसे साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो अथवा जहाँ गिरफ्तारी की गई हो उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, तथा गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। यद्यपि गिरफ्तारी के पृथक आधार/कारण याचिकाकर्ता अर्थात् गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित प्रतिहस्ताक्षरित हैं, तथापि उक्त गिरफ्तारी के आधारों का कोई साक्षी नहीं है। इससे केवल यही अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है कि यदि उक्त गिरफ्तारी के आधार/कारण दिनांक 28.01.2026 के गिरफ्तारी ज़ापन के साथ-साथ तैयार किए गए होते, तो वे गिरफ्तारी ज़ापन पर ही विधिवत् उल्लिखित होते तथा उस साक्षी द्वारा भी अनुप्रमाणित होते जिसने याचिका के साथ संलग्न गिरफ्तारी ज़ापन को अनुप्रमाणित किया है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि उक्त गिरफ्तारी के आधार/कारण पश्चातवर्ती रूप से तैयार किए गए हैं और यद्यपि उन पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हो सकते हैं, तथापि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 36 के अनिवार्य प्रावधानों तथा **मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुरूप नहीं हैं।

26. अतः, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी **मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सर्वथा विपरीत है तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है, जिससे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी एवं रिमांड अवैध हो जाती है और तदनुसार याचिकाकर्ता मुक्त किए जाने का अधिकारी है।

27. जहाँ तक विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण के इस तर्क का प्रश्न है कि चूँकि याचिकाकर्ता अब विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश के अनुसरण में अभिरक्षा में है, अतः गिरफ्तारी में यदि कोई अवैधता थी तो वह विलुप्त हो जाती है, यह तर्क **मिहिर राजेश**

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शाह (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अग्रसर किया गया है, उसे अस्वीकार किए जाने योग्य माना जाता है, क्योंकि यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब नींव ही चली जाती है तो अधिरचना स्वयं ढह जाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि गिरफ्तारी को ही अवैध घोषित कर दिया जाए, तो रिमांड आदेश पारित हो जाने पर भी वह भी अविधिमान्य हो जाएगा, मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए।

28. मामले का दूसरा पहलू यह है कि राहुल मोदी (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, (2022) 13 एससीसी 542 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“क्या धारा 167 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पारित रिमांड आदेश के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पोषणीय है

76. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वह याचिका है जो अवैध निरोध की स्थिति में प्रतिकार प्राप्त करने हेतु दायर की जाती है। यह एक अत्यंत त्वरित उपाय के रूप में अभिप्रेत है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता दाँव पर होती है। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब पोषणीय है जब किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रिमांड किया गया हो, यह प्रश्न अब अनिर्णीत नहीं रहा। हम इस न्यायालय के केवल दो निर्णयों का उल्लेख करेंगे। मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य [मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2013) 1 एससीसी 314 : (2013) 1 एससीसी (क्रि) 475] में हम अनुच्छेद 24 का उल्लेख करते हैं (एससीसी पृष्ठ 324)

“24. अभियुक्त को रिमांड पर भेजने का निर्देश देने का कार्य मूलतः एक न्यायिक कार्य है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त की निरोध का आदेश देते समय कार्यकारी क्षमता में कार्य नहीं करता। इस न्यायिक कार्य का निर्वहन करते समय मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री से यह संतुष्ट हो कि क्या ऐसी सामग्री ऐसे रिमांड को न्यायसंगत ठहराती है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो क्या अभियुक्त को अभिरक्षा में सौंपने और उसके रिमांड को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विस्तारित करने के लिए उचित आधार विद्यमान हैं। धारा 167 के अंतर्गत परिकल्पित रिमांड का उद्देश्य यह है कि जाँच 24 घंटों के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सकता। यह मजिस्ट्रेट को यह देखने में सक्षम बनाता है कि रिमांड वास्तव में आवश्यक है। इसके लिए जाँच अभिकरण को रिमांड रिपोर्ट के साथ केस डायरी भी प्रेषित करना आवश्यक है ताकि मजिस्ट्रेट तथ्यात्मक परिदृश्य का मूल्यांकन कर सके और अपना मन लगा सके कि क्या पुलिस रिमांड की आवश्यकता है, न्यायिक रिमांड का औचित्य है अथवा किसी भी रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह अपना दिमाक लगाए और रिमांड का आदेश स्वचालित रूप से अथवा यांत्रिक ढंग से न पारित करे।”

(बल दिया गया)

77. तथापि, न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया: (मनुभाई रतिलाल पटेल वाद [मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2013) 1 एससीसी 314 : (2013) 1 एससीसी (क्रि) 475], एससीसी पृष्ठ 326, अनुच्छेद 31)

“31..... यह एक सुस्वीकृत सिद्धांत है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तब पोषणीय नहीं होती जब किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में ऐसे आदेश द्वारा सौंपा गया हो जो प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकाररहित अथवा पूर्णतः यांत्रिक रीति से पारित अथवा सर्वथा अवैध प्रतीत न होता हो। जैसा कि बी रामचंद्र राव [बी रामचंद्र राव बनाम उड़ीसा राज्य, (1972) 3 एससीसी 256:1972 एससीसी (क्रि) 481] और कानू सान्याल [कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग, (1974) 4 एससीसी 141 : 1974 एससीसी (क्रि) 280] में कहा गया है, न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निरोध के पारित आदेश की वैधता अथवा अन्यथा की जाँच करे। जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि किसी व्यक्ति को ऐसे आदेश के आधार पर कारागार अभिरक्षा में भेजा गया है जो क्षेत्राधिकार के अभाव अथवा पूर्ण अवैधता के दोष से ग्रस्त है, तब तक बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट प्रदान नहीं की जा सकती।

(बल दिया गया)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



78. हम में से एक (न्यायमूर्ति यू.यू. ललित) ने दो न्यायाधीशों की पीठ की और से सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी [सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी, (2019) 5 एससीसी 266 : (2019) 2 एससीसी (क्रि) 516] के निर्णय में उपरोक्त विचार-धारा का अनुसरण किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसीस पृष्ठ 289, अनुच्छेद 21)

“21. इस प्रकार अभियुक्त को रिमांड पर भेजने का निर्देश देने के कार्य को न्यायिक कार्य अभिनिर्धारित किया गया है और रिमांड के आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में चुनौती पोषणीय नहीं है।”

79. हम उसी निर्णय के अनुच्छेद 19 का भी उल्लेख कर सकते हैं: (राहुल मोदी वाद [सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी, (2019) 5 एससीसी 266 : (2019) 2 एससीसी (क्रि) 516, एससीसी पृष्ठ 285)

“19. इस प्रकार विधि स्पष्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने के समय निरोध की वैधता अथवा अन्यथा पर विचार करना होता है, न कि कार्यवाही संस्थित किए जाने के संदर्भ में।

80. अतः, हम निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हैं : यदि रिमांड सर्वथा अवैध है अथवा रिमांड क्षेत्राधिकार के अभाव के दोष से ग्रस्त है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निश्चित रूप से पोषणीय होगी। इसी प्रकार, यदि रिमांड का आदेश पूर्णतः यांत्रिक रीति से पारित किया गया है, तो पीड़ित व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपाय प्राप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं होगी।”

29. उपरोक्त **गौतम नवलखा (उपरोक्त)** के निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब पोषणीय होगी जब किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रिमांड किया गया हो और रिमांड का आदेश पूर्णतः यांत्रिक रीति से पारित किया गया हो।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने यद्यपि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया है, तथापि वे इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहे कि पृथक रूप से विस्तृत किए गए गिरफ्तारी के आधार/कारण, गिरफ्तारी ज़ापन का भाग नहीं बनते क्योंकि वे गिरफ्तारी ज़ापन में कहीं भी उल्लिखित नहीं हैं तथा इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 36 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं हैं, और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रिमांड आदेश पूर्णतः यांत्रिक रीति से पारित किया गया है, और परिणामस्वरूप, यद्यपि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड दिया गया है, तथापि बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की वर्तमान रिट याचिका पोषणीय होगी।

31. जहाँ तक विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की वर्तमान याचिका की पोषणीयता के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का प्रश्न है, **गौतम नवलखा (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने **नेनावथ बुज्जी बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य, 2024 (17) एससीसी 294** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"26. हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में इस प्रकार कहा गया है:

“बंदी प्रत्यक्षीकरण एंड सब्जीसीएनडूम की रिट” अन्य रिटों के विपरीत, एक विशेषाधिकार रिट है, अर्थात् यह एक असाधारण उपाय है, जो उन मामलों में कारण दर्शाए जाने पर जारी की जाती है जहाँ सामान्य विधिक उपाय अप्रयोज्य अथवा अपर्याप्त हों। यह रिट एक अधिकार की रिट है और न्याय के ऋण स्वरूप प्रदान की जाती है। तथापि, यह स्वतः प्रवाहमान रिट नहीं है। सामान्य विधि और विधान दोनों के अंतर्गत, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब इसके जारी किए जाने के लिए उचित आधार दर्शाए गए हों। सामान्यतः इस रिट को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि निरोध की वैधता को चुनौती देने का कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। “कोई भी व्यक्ति किसी अन्य को अवैध कारावास से मुक्त कराने के उद्देश्य से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट प्राप्त करने हेतु कार्यवाही संस्थित करने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य की अभिरक्षा का विधिक अधिकारी है, अभिरक्षा पुनः प्राप्त करने के लिए इस रिट हेतु आवेदन कर सकता है। किसी भी ऐसे मामले में अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जहाँ कथित रूप से अनुचित रूप से निरुद्ध व्यक्ति तक पहुँच से इनकार कर दिया गया हो, जिससे बंदी से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हो सके, आवेदन उसके किसी संबंधी अथवा मित्र द्वारा शपथपत्र के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें इसे किए जाने का कारण दर्शाया गया हो।"

27. कॉर्पस ज्यूरिस सेकण्डम में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की प्रकृति का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

“बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक ऐसी रिट है जो किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को निर्देशित की जाती है, जिसमें उसे आदेश दिया जाता है कि वह बंदी के शरीर को एक निर्धारित समय और स्थान पर उसकी गिरफ्तारी एवं निरोध की तिथि और कारण सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि वह सब करे, प्रस्तुत करे और स्वीकार करे जो रिट प्रदान करने वाला न्यायालय अथवा न्यायाधीश उस संबंध में उचित समझे। “हेबियस कॉर्पस” का शाब्दिक अर्थ है “शरीर को उपस्थित करो”। इस रिट के माध्यम से न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति के शरीर को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरोध वैध है या अवैध। एंग्लो-सैक्सन विधिशास्त्र में इस रिट की यही प्रमुख स्थिति है।

28. हुड फिलिप्स एंड जैक्सन द्वारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इस प्रकार कहा गया है:

“किसी भी प्रकार के निरोध की वैधता को सामान्य विधि के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हेतु आवेदन द्वारा चुनौती दी जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट थी, अर्थात् यह राजा द्वारा अपने अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती थी ताकि उन्हें अपने कार्यों का उचित रूप से निर्वहन करने के लिए बाध्य किया जा सके। आवेदक के स्वतंत्रता के दावे के निर्धारण हेतु त्वरित न्यायिक उपाय प्रदान करने के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण के व्यावहारिक महत्व को न्यायाधीशों और लेखकों द्वारा बारंबार प्रतिपादित किया गया है। तथापि, इस उपाय की प्रभावशीलता अनेक मामलों में उस वैधानिक शक्ति की व्यापकता पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण कार्य कर रहा हो तथा व्यापक वैधानिक प्रावधानों पर आधारित निर्णयों की वैधता की जाँच करने की न्यायालयों की इच्छाशक्ति पर भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्भर करती है। यह सुझाव दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के “कठोर उपाय” की आवश्यकता उस सीमा तक कम हो गई है जितनी कि न्यायिक पुनरावलोकन एक अधिकाधिक लचिले क्षेत्राधिकार के रूप में विकसित हुई है। रिट में प्रक्रियागत सुधार उपयुक्त हो सकता है, परंतु बंदी प्रत्यक्षीकरण और न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत उपायों के बीच मूलभूत अंतरों को दृष्टि से ओझल न होने देना महत्वपूर्ण है। उत्तरवर्ती उपाय विवेकाधीन हैं और न्यायालय व्यावहारिक आधारों पर राहत देने से इनकार कर सकता है; जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अधिकार की रिट है जो न्याय के ऋण स्वरूप प्रदान की जाती है।”

29. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्राचीन विशेषाधिकार रिट का नाम दो अनिवार्य शब्दों “हेबियस” और “कॉर्पस” से लिया गया है। “हेबियस कॉर्पस” का शाब्दिक अर्थ है “उसके शरीर को उपस्थित करो”। इन रिटों का सामान्य उद्देश्य, जैसा कि उनके नाम संकेत मिलता है, किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कराना था। यह चाहे कारागार में हो अथवा निजी अभिरक्षा में, अवैध या अन्यायसंगत निरोध से तत्काल मुक्ति का प्रभावी उपाय प्रदान करके व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की एक विशेषाधिकार प्रक्रिया है। यह ऐसी सर्वोच्च एवं सर्वोपरि प्राधिकार की रिट है जिसके विरुद्ध कोई भी विशेषाधिकार, शक्ति अथवा पद नहीं टिक सकता। समस्त संवैधानिक विधिशास्त्रियों के अनुसार, यह न केवल निजी व्यक्तियों के बल्कि कार्यपालिका के मनमाने कार्यों के विरुद्ध भी व्यक्ति की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सर्वोच्च संरक्षक है। यह रिट अपनी स्वयं की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाने वाली विशेषाधिकार रिट है। इंग्लैंड में, रिट प्रदान करने का क्षेत्राधिकार सामान्य विधि में विद्यमान था, किंतु इसे विधान द्वारा मान्यता दी गई और विस्तारित किया गया है। इंग्लैंड में यह सुस्थापित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट अधिकार के रूप में है और न्यायालय को इसे अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। **“सर्टिओरारी अथवा परमादेश के विपरीत, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए अधिकार के रूप में है जिसे अवैध रूप से निरिद्ध किया गया हो। भारत में, यही विशेषाधिकार रिट है जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अतः, यह इस देश के नागरिक को उपलब्ध एक असाधारण उपचार है, जिसे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत लागू करा सकता है।**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(बल दिया गया)

32. नेनावथ बुज्जी (उपरोक्त) के पूर्वोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्टरूप से उभर कर आता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और न्यायिक समीक्षा के तहत मिलने वाले उपचारों के बीच एक मौलिक अंतर है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के उपचार विवेकधीन होते हैं और न्यायालय व्यावहारिक आधार पर रिहाई से इनकार कर सकता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट **न्याय के अधिकार के रूप में प्रदान की जाने वाली एक अधिकार-स्वरूप रिट है।**

33. उपरोक्त के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने **मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त)** के मामले में स्पष्ट रूप से यह माना है कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराना एक संवैधानिक अधिदेश है और यह महज़ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, इसलिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली रिट पोषणीय होगी और यदि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप सही पाया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो न्यायालय के पास इसे खारिज करने का कोई विवेकाधिकार नहीं हो सकता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तारी करने और रिमांड के लिए आरोपी को संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट/न्यायालय के समक्ष पेश करते समय बीएनएसएस में प्रदान किए गए अनिवार्य प्रावधानों और **मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं किया है। अतः, आरोपी की गिरफ्तारी कानून की नज़र में दोषपूर्ण है; इसलिए, एक अवैध गिरफ्तारी पर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई न्यायिक रिमांड को वैध नहीं कहा जा सकता।

34. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट जारी की जाती है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है। दिनांक 29.01.2026 का रिमांड आदेश, अवैध गिरफ्तारी का परिणामी होने के कारण, अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता को मुक्त किया जाए, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

35. तथापि, प्रतिवादीगण के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



36. अभिलेख अर्थात् केस डायरी संख्या सीडी 1 से सीडी 13 का अवलोकन करने के पश्चात् विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण को वापस कर दिए गए हैं।

37. न्यायालय इस न्यायालय के शोध सहयोगी श्री मोहम्मद आजम सिद्दीकी द्वारा प्रदान की गई सहायता को अभिलिखित करता है।

(न्यायमूर्ति बबिता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

फरवरी 10, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।